

सेवाएं विभाग
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, सातवां तल, 'बी' विंग,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली - 110002

अतारांकित प्रश्न संख्या: 125


दिनांक: 09.08.2017

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री एस. के. बग्गा

क)	सेवाएं विभाग दिल्ली सरकार द्वारा पोस्ट कोड 101/2000 के अन्तर्गत कुल कितने एल.डी.सी. की भर्ती की गई है; श्रेणीवार बताया जाए;	<p>सेवा विभाग द्वारा 371 एल. डी. सी. पोस्ट कोड 101/2000 के अंतर्गत भर्ती किये गए जिसका श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-</p> <table border="1" data-bbox="766 716 1404 929"> <tr> <td>अनारक्षित</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>अनुसूचित जाति</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>अनुसूचित जनजाति</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>अन्य पिछड़ा वर्ग</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>भूतपूर्व सैनिक</td> <td>38</td> </tr> </table>	अनारक्षित	210	अनुसूचित जाति	93	अनुसूचित जनजाति	17	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	भूतपूर्व सैनिक	38					
अनारक्षित	210																
अनुसूचित जाति	93																
अनुसूचित जनजाति	17																
अन्य पिछड़ा वर्ग	13																
भूतपूर्व सैनिक	38																
ख)	इनमें से एल.डी.सी. कर्मचारियों का परीक्षा परिणाम कब-कब घोषित किया गया तथा उनकी नियुक्ति कब-कब की गई; श्रेणीवार बताया जाए;	<p>इनके परिणाम दिनांक 04.02.2003, 26.06.2003, 10.12.2004, 31.12.2004, 16.12.2005 को घोषित किये गए। तथा इनके डोसिएर्स श्रेणीवार विभिन्न विभागों को अलग-अलग तिथियों में नामित किये गए थे जो इस प्रकार से हैं:-</p> <table border="1" data-bbox="766 1198 1404 1612"> <tr> <td>07.04.2003, 26.06.2003, 18.07.2003,</td> <td>अनारक्षित</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>15.07.2003, 21.04.2005</td> <td>भूतपूर्व सैनिक</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>04.01.2005, 10.02.2005, 30.01.2006</td> <td>अनुसूचित जाति</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>18.02.2005</td> <td>अन्य पिछड़ा वर्ग</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>30.01.2006</td> <td>भूतपूर्व सैनिक</td> <td>17</td> </tr> </table>	07.04.2003, 26.06.2003, 18.07.2003,	अनारक्षित	210	15.07.2003, 21.04.2005	भूतपूर्व सैनिक	38	04.01.2005, 10.02.2005, 30.01.2006	अनुसूचित जाति	93	18.02.2005	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	30.01.2006	भूतपूर्व सैनिक	17
07.04.2003, 26.06.2003, 18.07.2003,	अनारक्षित	210															
15.07.2003, 21.04.2005	भूतपूर्व सैनिक	38															
04.01.2005, 10.02.2005, 30.01.2006	अनुसूचित जाति	93															
18.02.2005	अन्य पिछड़ा वर्ग	13															
30.01.2006	भूतपूर्व सैनिक	17															
ग)	जिन एल.डी.सी कर्मचारियों की भर्ती परिणाम रोका गया था, उनकी पुरानी पेंशन/नोशनल पे फिक्सेशन क्यों नहीं की गई है;	<p>पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार की सलाह के अनुसार, 01.01.2004 से पहले मौलिक नियुक्ति या भुगतान निर्धारण के किसी भी तिथि की अनुपस्थिति में, 01.01.2004 या उसके बाद ड्यूटी में शामिल हुए ग्रेड-IV (दास)/अ. श्रे. लिपिक के निवेदन, जो पुरानी पेंशन योजना के लाभों को विस्तारित करने के लिए हो, उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियमों के प्रावधानों के तहत समायोजित नहीं किया गया है। इसलिए, 01.01.2004 के बाद ड्यूटी में शामिल होने वाले उन कर्मचारियों का तर्क कि उन्हें एक ही परीक्षा से</p>															

(Handwritten Signature)

		अनारक्षित श्रेणी के सफल उम्मीदवारों की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाए, उचित नहीं है और न ही वैध है।
घ)	शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार द्वारा इस प्रकार के सहायक शिक्षकों को पुरानी पेन्शन/नोशनल फिक्सेशन की गई है, तो सेवाएं विभाग इस एल.डी.सी. कर्मचारियों को पुरानी पेन्शन/नोशनल पे फिक्सेशन क्यों नहीं दे रहा है;	(घ) व (ङ) सेवाएं विभाग ने शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार को सलाह दी थी कि वे गलती से इस तरह के मामलों में शिक्षकों को दी गयी पुरानी पेंशन योजना के लाभों को वापस ले लें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ओ.ए. सं. 3924/2013 में माननीय कैट द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2015 के द्वारा 01.01.2004 व उसके बाद नियुक्त ग्रेड-IV (दास)/अ. श्रे. लि. को सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के तहत प्रदत्त लाभ को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, में चुनौती देते हुए रिट याचिका (सिविल), संख्या 838/2016 शीर्षक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार बनाम अजय कुमार और अन्य, दायर की है। वर्तमान में मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
ङ)	कैट के आदेश से शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापकों की पुरानी पेन्शन/नोशनल पे फिक्सेशन से दी गई है। एल.डी.सी. के मामले में ओ.ए. नम्बर 3924/2013 में कैट के आर्डर के बावजूद पुरानी पेन्शन/नोशनल पे फिक्सेशन क्यों नहीं दी गई?	


(अश्विनी कुमार मेहता)
उप सचिव (सेवाएं)

ASHWANI KUMAR MEHTA
Dy. Secretary (Services)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02